केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(संसद अधिनियम द्वारा स्थापित)

जयपुर परिसर, जयपुर

के.सं.वि.ज./6–1/2021–22/910 दिनांक 17.09.2021

अधिसूचना-222

शैक्षणिक सत्र 2021–22 के शास्त्री प्रथम वर्ष एवं आचार्य प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र/छात्राओं को प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते हैं : –

1. जिन छात्रों ने शास्त्री तृतीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर अन्य संस्था में शिक्षाशास्त्री या अन्य परीक्षा में प्रविष्ट हों या जिनका अन्तिम परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, उन्हें अस्थाई प्रवेश देकर एक महीने के अन्दर या अग्रिम आदेश तक टी.सी. या माईग्रेशन जमा करने का समय दिया जाता है।
2. अपने विश्वविद्यालय/अन्य विश्वविद्यालय से शास्त्री तृतीय वर्ष परीक्षा में प्रविष्ट छात्र/छात्राओं, जिनका अन्तिम परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ हो, को भी अस्थायी प्रवेश देकर अंकतालिका की प्रति प्राप्त होने पर स्थायी कर दिया जायेगा।
3. शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए माईग्रेशन जमा करने के लिए अधिकतम एक महिने की छूट दी जायेगी। इस कक्षा में प्रवेश के लिए पूर्व परीक्षा लब्धांक पत्र की प्रति तथा जन्म तिथि जाति प्रमाण पत्र की प्रति अवश्य जमा करवानी होगी।
4. अभ्यर्थियों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा, उसके लिये छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Bhagwati Sudesh

(प्रो. भगवती सुदेश)
निदेशक

प्रतिलिपि : –

1. परिसर वेबसाईट www.csu-jaipur.edu.in पर सूचनार्थ।
2. नोटिस बोर्ड।
3. कार्यालय आदेश।
4. छात्र अनुभाग।
5. प्रशासन विभाग।
6. परीक्षा विभाग।